Cadets medically boarded out for disabilities during training now eligible for resettlement facilities

AMRITA NAYAK DUTTA
NEW DELHI, MARCH 16

DEFENCE MINISTER Rajnath Singh has approved a proposal to extend resettlement facilities to cadets who are medically boarded out for disabilities suffered during their military training.

There was, however, no word on providing them with a disability pension, which has been a long-standing demand from such cadets.

The new proposal would be for officer trainees who undergo training at the Dehradun-based Indian Military Academy, the National Defence Academy, Khadakwasla and the naval and air force academies before joining the Armed Forces.

In a statement Saturday, the Defence Ministry said the decision has been taken as the cadets join military academies at a young age with the intention of joining as officers in the Armed Forces, and show a commitment to serve the nation in uniform, but are unfortunate in being invalidated from military training on medical grounds due to causes attributable to or aggravated by the training. It added that since decades, the cadets or their parents have been demanding such resettlement opportunities.

Sources said the resettlement opportunities to be provided to such cadets will include various self-employment schemes, which are currently implemented for ex-servicemen and their families, by the Directorate General Resettlement under the Defence Ministry's Department of Ex-Servicemen Welfare.

Retd UP bureaucrat Sehgal is Prasar Bharati chief, IIS officer Sharan appointed Principal D-G of PIB

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, LUCKNOW, MARCH 16

RETIRED BUREAUCRAT Navneet Kumar Sehgal has been named the new Chairman of Prasar Bharati, a post that had been lying vacant for four years.

He succeeds A Surya Prakash, whose term ended in February 2020 after he turned 70, the age limit for the post. Sehgal will be Chairman for three years, according to a March 15 order issued by the Ministry of Information and Broadcasting.

Meanwhile, Sheyphali Sharan was appointed as the Principal D-G of the Press Information Bureau, the ministry's publicity arm. The 1990-batch IIS officer will take charge on April 1 upon the superannuation of the incumbent Manish Desai.

Sehgal is a 1988-batch IAS officer of the Uttar Pradesh cadre. He retired in 2023 as the state government's Additional Chief Secretary for Sports and Youth Welfare.

"The President, on the recommendation of the Selection Committee, is pleased to appoint Navneet Kumar Sehgal, IAS (retd) as the Chairman of the Prasar Bharati Board with effect from the date of his assuming charge of the post for a term of three years or until he attains the age of 70 years, whichever is earlier," the ministry statement said.

Reacting to his appointment, Sehgal said: "Prasar Bharti is known as the most reliable broadcaster. We will keep making efforts to give credible and unbiased news to people through Doordarshan and Aakashwaani."

Navneet Kumar Sehgal; Sheyphali Sharan. *File*

Sehgal, who has served in almost all key posts in the UP government, has been perhaps the most sought after bureaucrat in the state's power corridors over the last two decades.

Though he had been sidelined after governments changed hands in 2012 and 2017, his absence was felt and within months he was brought back to the centre-stage of the bureaucracy.

A Chandigarh native, Sehgal first came to the limelight when he was appointed the district magistrate of Lucknow by the then CM Mayawati of the Bahujan Samaj Party (BSP) during her brief tenure between 2002 and 2003. He was on the Central deputation during the succeeding Mulayam Singh Yadav-led Samajwadi Party (SP) government. But soon after the BSP won the 2007 Assembly polls with a majority, Sehgal returned to his home cadre and cemented his utility to the extent that he remained one of the most powerful UP bureaucrats until his retirement.

Vice President Jagdeep Dhankhar had chaired a meeting on Friday to pick the chairman for the public broadcaster. The vice president, who is also Rajya Sabha Chairman, heads the three-member selection panel along with the chairperson of the Press Council of India and a nominee of the President.

Friday's meeting was attended by Press Council of India chairperson Justice (retd) Ranjana Desai and newly appointed I&B Secretary Sanjay Jaju.

Prasar Bharati, which oversees the operations of Doordarshan and All India Radio, was being officiated by CEO Gaurav Dwivedi, a 1995-batch officer of the Chhattisgarh cadre, who was appointed in November 2022 for a term of five years.

ICICI Home Finance | **Corporate Office:** ICICI Home Finance Company Limited ICICI HFC Tower, Andheri - Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059, India
Branch Office: 4th Floor, Bhaskar Heights Building, Front Facing, Office No. 1, Near Kalyan Hospital, Silver Jubilee Road, Sikar - 332001
Branch Office: 1st Floor, Shop No.- 46 To 49, Lakshmi Complex, M. I. Road, Subhash Marg, C- Scheme, Jaipur-302001
Branch Office: 3rd Floor, Kamal Tower, Opp. Old court Hospital, Nagaur, Rajasthan - 341001
Branch Office: Plot No.1, 1st floor, Sahyog Bhawan, Aerodrome Circle, Kota - 324007

[See proviso to rule 8(6)]
Notice for sale of immovable assets

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the **Physical Possession** of which has been taken by the Authorized Officer of ICICI Home Finance Company Ltd., will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is", as per the brief particulars given hereunder;

Sr. No.	Name of Borrower(s)/ Co Borrowers/ Guarantors/ Legal Heirs. Loan Account No.	Details of the Secured Asset (s) with known encumbrances, if any	Amount Outstanding	Reserve Price / Earnest Money Deposit	Date and Time of Property Inspection	Date & Time of Auction
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Pradeep Kumar (Borrower) Sunita Devi (Co-Borrower) Mahendra Singh (Co-Borrower) Loan A/c No. LHSIK00001354734 & LHSIK00001354605	Flat No. 602 On Sixth Floor In The Building Known As "Dhankhar Residency", West Facing Plot of Land Bearing No. V-65, Agersen Circle, Jhujhunu, Tehsil And District Jhunjhunu.	Rs. 50,96,604/- March 13, 2024	Rs. 36,76,428/- / Rs. 3,67,650/-	March 21, 2024 11:00 AM 03:00 PM	April 04, 2024 02:00 PM 03:00 PM
2.	Jyoti Devi (Borrower) Ashok Kumar Soni (Co-Borrower) Nikhil Soni (Co-Borrower) Loan A/c No. LHAWR00001369658 & LHAWR00001369491	Plot No. 5, K.H. No. 917/0.18, Mohalla Badabas, Th. Kotputli, Dist. Jaipur (Rajashan).	Rs. 51,09,498/- March 13, 2024	Rs. 33,30,482/- / Rs. 3,33,050/-	March 21, 2024 11:00 AM 03:00 PM	April 04, 2024 02:00 PM 03:00 PM
3.	Hingalaj Dan (Borrower) Vimal Kanwar (Co-Borrower) Loan A/c No. LHBKR00001333721	Flat No. 67 on Second Floor, Block No. "04" in the Building known as "Shree Homes", Scheme situated at Deh Road Nagaur, situated at Khasra No. 85, Moja Amarpura Deh Road, District Nagaur.	Rs. 13,12,359/- March 13, 2024	Rs. 7,07,348/- / Rs. 70,740/-	March 21, 2024 11:00 AM 03:00 PM	April 04, 2024 02:00 PM 03:00 PM
4.	Karan Bansiwal (Borrower) Parwati Bai (Co-Borrower) Loan A/c No. LHKOT00001344368 & LHKOT00001344226	Property of Khasra No. 386/343, 387/343, 388/343 Plot No. 10 Ka South Part situated at Vishnu Vihar Colony R.K. Garden. Dis Baran, Rajasthan.	Rs. 23,91,393/- March 13, 2024	Rs. 13,55,940/- / Rs. 1,35,600/-	March 21, 2024 11:00 AM 03:00 PM	April 04, 2024 02:00 PM 03:00 PM

The online auction will be conducted on website **(URL Link- https://BestAuctionDeal.com)** of our auction agency **GlobeTech.** The Mortgagors/ notice are given a last chance to pay the total dues with further interest till **April 03, 2024** before **05:00 PM** else these secured assets will be sold as per above schedule.
The Prospective Bidder(s) must submit the Earnest Money Deposit (EMD) RTGS/ Demand Draft (DD) (Refer Column E) at **ICICI Home Finance Company Limited, 4th Floor, Bhaskar Heights Building, Front Facing, Office No. 1, Near Kalyan Hospital, Silver Jubilee Road, Sikar - 332001** on or before **April 03, 2024** before **04:00 PM.** The Prospective Bidder(s) must also submit signed copy of Registration Form & Bid Terms and Conditions form at **ICICI Home Finance Company Limited, 4th Floor, Bhaskar Heights Building, Front Facing, Office No. 1, Near Kalyan Hospital, Silver Jubilee Road, Sikar - 332001** on or before **April 03, 2024** before **05:00 PM.** Earnest Money Deposit Demand Draft (DD) should be from a Nationalized/Scheduled Bank in favorof **"ICICI Home Finance Company Ltd. – Auction"** payable at **Jhunjhunu, Jaipur, Nagaur, Baran.**
For any further clarifications with regards to inspection, terms and conditions of the auction or submission of tenders, kindly contact **ICICI Home Finance Company Limited** on **9920807300** or our **Sales & Marketing Partner NexXen Solutions Private Limited.**
The Authorized Officer reserves the right to reject any or all the bids without furnishing any further reasons.
For detailed terms and conditions of the sale, please visit **https://www.icicihfc.com/**

Date : March 17, 2024 — **Authorized Officer**
Place : Jhunjhunu, Jaipur, Nagaur, Baran — **ICICI Home Finance Company Limited**

ICICI Home Finance | **Corporate Office:** ICICI Home Finance Company Limited ICICI HFC Tower, Andheri - Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059, India
Branch Office: 1st Floor, G. K Tower, Plot No.14, Sardul Colony, Ambedkar Circle, Bikaner- 334001

[See proviso to rule 8(6)]
Notice for sale of immovable assets

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the **Physical Possession** of which has been taken by the Authorized Officer of ICICI Home Finance Company Ltd., will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is", as per the brief particulars given hereunder;

Sr. No.	Name of Borrower(s)/ Co Borrowers/ Guarantors/ Legal Heirs. Loan Account No.	Details of the Secured Asset (s) with known encumbrances, if any	Amount Outstanding	Reserve Price / Earnest Money Deposit	Date and Time of Property Inspection	Date & Time of Auction
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Rakesh Kumar Bhargav (Borrower) Vimla Devi (Co-Borrower) Loan A/c No. LHBKR00001314156 & LHBKR00001314155	Eastern Part of Plot (Patta No. 3162), Situated at Ward No. 7, Khasra No. 335/10, Nokha Mandi, Nokha Dist. Bikaner	Rs. 27,33,634/- March 13, 2024	Rs. 13,91,406/- / Rs. 1,39,150/-	April 15, 2024 11:00 AM 03:00 PM	April 23, 2024 02:00 PM 03:00 PM

The online auction will be conducted on website **(URL Link- https://BestAuctionDeal.com)** of our auction agency **GlobeTech.** The Mortgagors/ notice are given a last chance to pay the total dues with further interest till **April 22, 2024** before **05:00 PM** else these secured assets will be sold as per above schedule.
The Prospective Bidder(s) must submit the Earnest Money Deposit (EMD) RTGS/ Demand Draft (DD) (Refer Column E) at **ICICI Home Finance Company Limited, 1st floor, G. K Tower, Plot No.14, Sardul Colony, Ambedkar Circle, Bikaner- 334001** on or before **April 22, 2024** before **04:00 PM.** The Prospective Bidder(s) must also submit signed copy of Registration Form & Bid Terms and Conditions form at **ICICI Home Finance Company Limited, 1st floor, G. K Tower, Plot No.14, Sardul Colony, Ambedkar Circle, Bikaner- 334001** on or before **April 22, 2024** before **05:00 PM.** Earnest Money Deposit Demand Draft (DD) should be from a Nationalized/Scheduled Bank in favorof **"ICICI Home Finance Company Ltd. – Auction"** payable at **Bikaner.**
For any further clarifications with regards to inspection, terms and conditions of the auction or submission of tenders, kindly contact **ICICI Home Finance Company Limited** on **9920807300** or our **Sales & Marketing Partner NexXen Solutions Private Limited.**
The Authorized Officer reserves the right to reject any or all the bids without furnishing any further reasons.
For detailed terms and conditions of the sale, please visit **https://www.icicihfc.com/**

Date : March 17, 2024 — **Authorized Officer**
Place : Bikaner — **ICICI Home Finance Company Limited**

कार्यालय वसूली अधिकारी-द्वितीय
ऋण वसूली अधिकरण, प्रथम तल, सुधरमा-द्वितीय, लाल कोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड जयपुर-302012 (राजस्थान) (क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)
(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अन्तर्गत)
वसूली प्रमाण पत्र संख्याः 201/2023

अचल सम्पत्ति की ऑनलाईन ई-निलामी द्वारा विक्रय की उद्घोषणा

लोट नं.	प्रकरण का उनवान	निर्णित ऋणी के मालिकाना हक की सम्पति का विवरण	वसूल की जाने वाली राशि	अ) आरक्षित मूल्य ब) धरोहर राशि स) बोली वृद्धि राशि	निरीक्षण की तिथि / ईएमडी दस्तावेज जमा करवाने की तिथि	निलामी की तिथि एवं समय	सम्पत्ती के संबंध में ज्ञात राजस्व/ भार/ विवाद का विवरण
1.	पंजाब नेशनल बैंक, बनाम सीजीआर कोलेट्रल मैनेजमेंट लिमिटेड	सम्पत्ती संख्याः-1 अचल संपत्ति वाणिज्यक भूमि, खाता संख्या 14/19, पत्थर संख्या 205/320, मुरब्बा संख्या 34, 24 एनपी, किला संख्या 17 व 18, भोमपूरा, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान), भूमि का क्षेत्रफल लगभग 5060.00 वर्ग मीटर, मालिक सीजीआर कोलेट्रल मैनेजमेंट लिमिटेड सम्पत्ती संख्याः-2, कृषि भूमि, भूमि, खाता संख्या 14/19, पत्थर संख्या 205/320, मुरब्बा संख्या 34, 24 एनपी, किला संख्या 17 व 18, भोमपूरा, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान), भूमि का क्षेत्रफल लगभग 1270.00 वर्ग मीटर, मालिक सीजीआर कोलेट्रल मैनेजमेंट लिमिटेड	5,43,91,588.34 रुपए दि. 31.07.2023 तक एवं भविष्य का ब्याज व खर्चे	अ) रु. 85.00 लाख ब) रु. 8.50 लाख स) रु. 50 हजार	06.04.2024 समय प्रातः 10 से सायं 4 बजे तक / 12.04.2024 सायं 3 बजे तक	17.04.2024 समयः प्रातः 11 से सायं 3 बजे तक	जानकारी नहीं

यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र संख्या 201/2023 जो कि मूल आवेदन संख्या 227/2022 में दिनांक 13.03.2023 को प्रतिवादी के विरूद्ध रूपये 5,56,01,382.34/- की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज, वाद व्यय एवं खर्चों सहित वसूल किये जाने योग्य है। तथा यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा सलंग्न अनुसूची में वर्णित बन्धकशुदा सम्पत्ति को प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। तथा यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 31.07.2023 तक ब्याज, वाद व्यय व खर्चों सहित कुल राशि 5,43,91,588.34/- रूपये एवं भविष्य का ब्याज बकाया होते हैं।

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में सन्दर्भित सम्पत्ति का विक्रय C1 India Pvt Ltd Address 3rd Floor, Plot no. 68, Sector 44, Gurgaon, 122003 Hariyana, India Contact person Bhavik Pandya and Contact No. 8866682937 and +91-7291891124/25/26 के द्वारा ऑनलाईन नीलामी के जरिये www.bankeauctions.com के माध्यम से दिनांक 17.4.2024 को प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक किया जायेगा।

यह विक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की सम्पत्ति जिसका विवरण ऊपर अनुसूची में दिया गया है, का किया जावेगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं दावे जो अभिनिश्चित किये गये हैं, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूचित में विनिर्दिष्ट है।

सम्पत्ति का विक्रय ''जहाँ है जैसी स्थिती में हैं'' के आधार पर किया जावेगा। सम्पत्ति का विक्रय अनूसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जावेगा। यदि सम्पत्ति के किसी एक भाग के विक्रय से वसूली राशि सन्तुष्ट हो जाती है तो शेष सम्पत्ति के विषय में विक्रय तुरन्त रोक दिया जायेगा। यदि किसी भी लॉट का विक्रय प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज, लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को अदा कर दी जाती है या उसकी सन्तुष्टि के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व खर्चे सहित अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अदा कर दी गई है तो विक्रय रोक दिया जावेगा।

विक्रय हेतु जनसाधारण को स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधी के जरिये बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, के द्वारा किसी भी रूप में इस सम्पत्ति के विक्रय में बोली में अथवा सम्पत्ति के अर्जन अथवा अर्जन के प्रयास में भाग नहीं लिया जावेगा।

विक्रय आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूचि में वर्णित शर्तों तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अध्ययीन होगा:-

(1) सलंग्न सूची में दिये गये विवरण अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अंकित है किन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता उद्घोषणा में किसी त्रुटि, असत्य अथवा चूक के लिये कतई उत्तरदायी नहीं होगा। (2) सम्पत्ति संख्या 1 व 2 का संयुक्त आरक्षित मूल्य 85.00 लाख रूपये होगा जिससे कम मूल्य में सम्पत्ति विक्रय नहीं की जावेगी। (3) वह राशि जिसके द्वारा बोली को बढ़ाया जा सकेगा 50,000/- रूपये व इस राशि के गुणक में होगी, तथा बोली की राशि अथवा बोलीदाता के विषय में विवाद उत्पन्न होने पर वह लॉट तुरन्त ही पुनः नीलामी के लिए रख दिया जायेगा। (4) इच्छुक बोलीदाताओ को ऊपर वर्णित वैब साईट पर पंजीकृत कराना तथा पहचान चिन्ह व पासवर्ड प्राप्त करना आवश्यक होगा जो कि सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जो बोली लगाये जाने के लिए अनिवार्य है। (5) बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी-द्वितीय, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये जमा करवायी जा सकेगी अथवा account no.50200074019804, HDFC Bank Ltd, Sodala Jaipur, IFSC Code HDFC0001843 में जमा करवाया जा सकेगा। अमानत राशि जमा कराये जाने का प्रमाण, पेनकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से बोली में भाग ले रहे हैं) प्रस्तुत करने होंगे, जोकि सेवा प्रदाता की ई-मेल आई.डी. gujrat@c1india.com or support@bankauctions.com पर भी भेज सकते है। (6) किसी भी लॉट के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जावेगा बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित मूल्य से कम नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो। (7) लिखित कारणों से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अधीन विक्रय को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त होगा। (8) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति के द्वारा घोषणा के तुरन्त पश्चात् (विशेष परिस्थितियों में 24 घण्टे में) क्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि धरोहर राशि को समायोजित करते हुए जमा करवायी जावेगी जो बैंक के उक्त खाता संख्या 50200074019804 में जमा करवायी जायेगी तथा विक्रय की सम्पूर्ण राशि क्रेता द्वारा वसूली अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण के पक्ष में जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा खाता संख्या 50200074019804 में नीलामी की तिथि से 15वें दिवस तक जमा करनी होगी जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो उसके पश्चात् प्रथम कार्यालय दिवस को ऐसा किया जा सकेगा। उक्त अवधि के भीतर भुगतान में व्यक्तिक्रम किये जाने पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्घोषणा जारी करके कर दिया जावेगा। (9) ऐसी स्थिति में जमाशुदा राशि को यदि अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उचित समझा जावे तो विक्रय के खर्चे समायोजित करने के पश्चात् जब्त सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में क्रेता के उक्त सम्पत्ति या राशि के किसी भी भाग के विषय में अधिकार जब्त हो जायेगें। सफल बोलीदाता को प्रथम 1000/- रूपये पर 2 प्रतिशत एवं उसके पश्चात् शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पोउण्डेय फीस का भुगतान करना होगा। (10) प्रमाणपत्रधारी बैंक के द्वारा इच्छुक बोलीदाता को दिनांक 6.04.2024 को प्रातः 10.00 से सांय 4.00 बजे तक सम्पत्ति के निरीक्षण की अनुमति दी जावेगी जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता श्री नरेन्द्र गुप्ता से mobile No. 8290078660 पंजाब नेशनल बैंक, सर्किल सास्त्रा सेंटर, सर्किल ऑफिस, श्रीगंगानगर, मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राजस्थान) पर सम्पर्क कर सकते हैं। (11) यदि इन्छुक बोलीदाता इन्टरनेट के जरिये बोली न लगा सकते है तो वे नोडल अधिकारी / सेवाप्रदाता के माध्यम से नीलामी में भाग ले सकते हैं। (12) प्रस्तावित बोलीदाता C1 India Pvt Ltd Address 3rd Floor, Plot no. 68, Sector 44, Gurgaon, 122003 Hariyana, India Contact person Bhavik Pandya and Contact No. 8866682937 and +91- 7291891124/25/26 पर संपर्क कर के ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते है जो वैबसाईड www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है। (13) अमानत राशि जमा कराये जाने एवं रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथी 12.4.2024 को 3 बजे सायं तक है। (14) ऑनलाईन नीलामी सेवाप्रदाता C1 India Pvt Ltd Address 3rd Floor, Plot no. 68, Sector 44, Gurgaon, 122003 Hariyana, India के द्वारा दिनांक 17.4.2024 को प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक सम्पादित की जावेगी। यदि नीलामी की राशि सायं 3 बजे के उपरान्त 05 मिनट के पश्चात् भी नहीं बढ़ायी जाती है तो नीलामी को समाप्त कर दिया जायेगा। किंतु यदि 3.05 से पूर्व यदि कोई बोली बढ़ाई जाती है तो पुनः निलामी समय 05 मिनट बढ़ा दिया जाएगा। (15) धरोहर राशि का भुगतान असफल बोलीदाताओं को उसी दिन सेवा प्रदाता के द्वारा किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक : 6/03/24 को जारी।

वसूली अधिकारी द्वितीय- ऋण वसूली अधिकरण जयपुर

कार्यालय वसूली अधिकारी-द्वितीय
ऋण वसूली अधिकरण, प्रथम तल, सुधरमा-द्वितीय, लाल कोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड जयपुर-302012 (राजस्थान) (क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)
(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अन्तर्गत)
वसूली प्रमाण पत्र संख्याः 457/2022

अचल सम्पत्ति की ऑनलाईन ई-निलामी द्वारा विक्रय की उद्घोषणा

लोट नं.	प्रकरण का उनवान	निर्णित ऋणी के मालिकाना हक की सम्पति का विवरण	वसूल की जाने वाली राशि	अ) आरक्षित मूल्य ब) धरोहर राशि स) बोली वृद्धि राशि	निरीक्षण की तिथि / ईएमडी दस्तावेज जमा करवाने की तिथि	निलामी की तिथि एवं समय	सम्पत्ती के संबंध में ज्ञात राजस्व/ भार/ विवाद का विवरण
1.	पंजाब नेशनल बैंक, बनाम चौधरी गम एवं डेरिवेटिव्स	**सम्पत्ती संख्याः-1** सम्पत्ति के अभिन्न अंग जो फैक्ट्री, भूमि एवं भवन स्थित लीज होल्ड प्लाट संख्या 57, 58, 59 एवं 60, इंडस्ट्रीयल एरिया, रिको, सादुलशहर, श्रीगंगानगर (राजस्थान) पर स्थित है। भूमि का क्षेत्रफल 9452.00 वर्गमीटर है। मालिक श्री ओमप्रकाश तरड़ एवं श्री अमनदीप तरड़ **सम्पत्ती संख्याः-2** सम्पत्ति के अभिन्न अंग जो हनुमानगढ़ रोड़ स्थित वाणिज्यिक परिवर्तित भूमि व भवन (शॉपिंग कॉल्पलैक्स सीजीआर मॉल), चहल चौक के पास, (किला नं. 2, 9 एवं 12, वर्ग संख्या 16, चक 6 ई छोटी,) श्रीगंगानगर (राजस्थान) पर स्थित है। कुल क्षेत्रफल 5487.00 वर्ग यार्ड (3 प्लाट प्रत्येक प्लाट का क्षेत्रफल 1437.00 वर्गयार्ड और चौथे प्लाट का क्षेत्रफल 1176.00 वर्गयार्ड है।) मालिक चौधरी बिल्डमार्ट प्रा.लि. (उस भाग/ एरिया को छोड़कर जिसपर बैंक द्वारा एनओसी जारी की जा चुकी है।) **सम्पत्ती संख्या :-3** - प्लाट संख्या 57, 58, 59 एवं 60 पर स्थित प्लांट एवं मशीनरी जो इंडस्ट्रीयल एरिया, रिको, सादुलशहर, श्रीगंगानगर (राजस्थान) पर स्थित है।	16,88,42,702 रुपए दि. 31.08.2022 तक एवं भविष्य का ब्याज व खर्चे	**सम्पत्ती सं.1** के लिए अ) रु. 3.00 करोड़ ब) रु. 30.00 लाख स) रु. 1.00 लाख **सम्पत्ती सं.2** के लिए अ) रु. 21.55 करोड़ ब) रु. 2.16 करोड़ स) रु. 1.00 लाख **सम्पत्ती सं.3** के लिए अ) रु. 1.34 करोड़ ब) रु. 13.4 लाख स) रु. 50.00 हजार	06.04.2024 समय प्रातः 10 से सायं 4 बजे तक / 12.04.2024 सायं 3 बजे तक	17.04.2024 समयः प्रातः 11 से सायं 3 बजे तक	जानकारी नहीं

यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र संख्या 457/2022 जो कि मूल आवेदन संख्या 394/2021 में दिनांक 31.05.2022 को प्रतिवादी के विरूद्ध रूपये 17,53,87.425/- की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज, वाद व्यय एवं खर्चों सहित वसूल किये जाने योग्य है। तथा यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा सलंग्न अनुसूची में वर्णित बन्धकशुदा सम्पत्ति को प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। तथा यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 31.08.2022 तक ब्याज, वाद व्यय व खर्चों सहित कुल राशि 16,88,42.702/- रूपये एवं भविष्य का ब्याज बकाया होते हैं।

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में सन्दर्भित सम्पत्ति का विक्रय C1 India Pvt Ltd Address 3rd Floor, Plot no. 68, Sector 44, Gurgaon, 122003 Hariyana, India Contact person Bhavik Pandya and Contact No. 8866682937 and +91-7291891124/25/26 के द्वारा ऑनलाईन नीलामी के जरिये www.bankeauctions.com के माध्यम से दिनांक 17.4.2024 को प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक किया जायेगा।

यह विक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की सम्पत्ति जिसका विवरण ऊपर अनुसूची में दिया गया है, का किया जावेगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं दावे जो अभिनिश्चित किये गये हैं, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूचित में विनिर्दिष्ट है।

सम्पत्ति का विक्रय ''जहाँ है जैसी स्थिती में हैं'' के आधार पर किया जावेगा। सम्पत्ति का विक्रय अनूसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जावेगा। यदि सम्पत्ति के किसी एक भाग के विक्रय से वसूली राशि सन्तुष्ट हो जाती है तो शेष सम्पत्ति के विषय में विक्रय तुरन्त रोक दिया जायेगा। यदि किसी भी लॉट का विक्रय प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज, लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को अदा कर दी जाती है या उसकी सन्तुष्टि के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व खर्चे सहित अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अदा कर दी गई है तो विक्रय रोक दिया जावेगा।

विक्रय हेतु जनसाधारण को स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधी के जरिये बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, के द्वारा किसी भी रूप में इस सम्पत्ति के विक्रय में बोली में अथवा सम्पत्ति के अर्जन अथवा अर्जन के प्रयास में भाग नहीं लिया जावेगा।

विक्रय आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूचि में वर्णित शर्तों तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अध्ययीन होगा:-

(1) सलंग्न सूची में दिये गये विवरण अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अंकित है किन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता उद्घोषणा में किसी त्रुटि, असत्य अथवा चूक के लिये कतई उत्तरदायी नहीं होगा। (2) सम्पत्ति 1 का आरक्षित मूल्य 3.00 करोड़ रूपये, सम्पत्ती संख्या 2 का आरक्षित मूल्य 21.55 करोड़ एवं सम्पत्ती संख्या 3 का आरक्षित मूल्य 01.34 करोड़ होगा जिससे कम मूल्य में सम्पत्ति विक्रय नहीं की जावेगी। (3) वह राशि जिसके द्वारा सम्पत्ती संख्या 1 व 2 की बोली को बढ़ाया जा सकेगा 100000/- रूपये होगी। एवं वह राशि सम्पत्ती संख्या 3 की बोली को बढ़ाया जा सकेगा वह राशि 50,000 /- रुपए होगी व इस राशि के गुणक में होगी, तथा बोली की राशि अथवा बोलीदाता के विषय में विवाद उत्पन्न होने पर वह लॉट तुरन्त ही पुनः नीलामी के लिए रख दिया जायेगा। (4) इच्छुक बोलीदाताओ को ऊपर वर्णित वैब साईट पर पंजीकृत कराना तथा पहचान चिन्ह व पासवर्ड प्राप्त करना आवश्यक होगा जो कि सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जो बोली लगाये जाने के लिए अनिवार्य है। (5) बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी-द्वितीय, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये जमा करवायी जा सकेगी अथवा account no.50200074019804, HDFC Bank Ltd, Sodala Jaipur, IFSC Code HDFC0001843 में जमा करवाया जा सकेगा। अमानत राशि जमा कराये जाने का प्रमाण, पेनकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से बोली में भाग ले रहे हैं) प्रस्तुत करने होंगे, जोकि सेवा प्रदाता की ई-मेल आई.डी. gujrat@c1india.com or support@bankauctions.com पर भी भेज सकते है। (6) किसी भी लॉट के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जावेगा बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित मूल्य से कम नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो। (7) लिखित कारणों से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अधीन विक्रय को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त होगा। (8) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति के द्वारा घोषणा के तुरन्त पश्चात् (विशेष परिस्थितियों में 24 घण्टे में) क्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि धरोहर राशि को समायोजित करते हुए जमा करवायी जावेगी जो बैंक के उक्त खाता संख्या 50200074019804 में जमा करवायी जायेगी तथा विक्रय की सम्पूर्ण राशि क्रेता द्वारा वसूली अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण के पक्ष में जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा खाता संख्या 50200074019804 में नीलामी की तिथि से 15वें दिवस तक जमा करनी होगी जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो उसके पश्चात् प्रथम कार्यालय दिवस को ऐसा किया जा सकेगा। उक्त अवधि के भीतर भुगतान में व्यक्तिक्रम किये जाने पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्घोषणा जारी करके कर दिया जावेगा। (9) ऐसी स्थिति में जमाशुदा राशि को यदि अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उचित समझा जावे तो विक्रय के खर्चे समायोजित करने के पश्चात् जब्त सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में क्रेता के उक्त सम्पत्ति या राशि के किसी भी भाग के विषय में अधिकार जब्त हो जायेगें। सफल बोलीदाता को प्रथम 1000/- रूपये पर 2 प्रतिशत एवं उसके पश्चात् शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पोउण्डेय फीस का भुगतान करना होगा। (10) प्रमाणपत्रधारी बैंक के द्वारा इच्छुक बोलीदाता को दिनांक 6.04.2024 को प्रातः 10.00 से सांय 4.00 बजे तक सम्पत्ति के निरीक्षण की अनुमति दी जावेगी जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता श्री नरेन्द्र गुप्ता से mobile No. 8290078660 पंजाब नेशनल बैंक, सर्किल सास्त्रा सेंटर, सर्किल ऑफिस, श्रीगंगानगर, मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राजस्थान) पर सम्पर्क कर सकते हैं। (11) यदि इन्छुक बोलीदाता इन्टरनेट के जरिये बोली न लगा सकते है तो वे नोडल अधिकारी / सेवाप्रदाता के माध्यम से नीलामी में भाग ले सकते हैं। (12) प्रस्तावित बोलीदाता C1 India Pvt Ltd Address 3rd Floor, Plot no. 68, Sector 44, Gurgaon, 122003 Hariyana, India Contact person Bhavik Pandya and Contact No. 8866682937 and +91-7291891124/25/26 पर संपर्क कर के ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते है जो वैबसाईड www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है। (13) अमानत राशि जमा कराये जाने एवं रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथी 12.4.2024 को 3 बजे सायं तक है। (14) ऑनलाईन नीलामी सेवाप्रदाता C1 India Pvt Ltd Address 3rd Floor, Plot no. 68, Sector 44, Gurgaon, 122003 Hariyana, India के द्वारा दिनांक 17.4.2024 को प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक सम्पादित की जावेगी। यदि नीलामी की राशि सायं 3 बजे के उपरान्त 05 मिनट के पश्चात् भी नहीं बढ़ायी जाती है तो नीलामी को समाप्त कर दिया जायेगा। किंतु यदि 3.05 से पूर्व यदि कोई बोली बढ़ाई जाती है तो पुनः निलामी समय 05 मिनट बढ़ा दिया जाएगा। (15) धरोहर राशि का भुगतान असफल बोलीदाताओं को उसी दिन सेवा प्रदाता के द्वारा किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक : 6/03/24 को जारी।

वसूली अधिकारी द्वितीय- ऋण वसूली अधिकरण जयपुर

Azam, 3 others held guilty in '16 vandalism case

MANISH SAHU
LUCKNOW, MARCH 16

Fifth case in which Khan has been convicted in past year

A SPECIAL MP/MLA court in Rampur on Saturday convicted senior Samajwadi Party leader and former minister Azam Khan and three others, including a retired police officer, in a case of alleged house trespass and vandalism in the Dongarpur area of the district in 2016.

This is the fifth case in which Khan, who is lodged in the Sitapur district jail, has been convicted in the past one year. The court will pronounce the sentence in the case on Monday.

He was produced in the Rampur court on Saturday.

"The court held Azam Khan, Aaley Hasan, a retired deputy superintendent of police (DSP), Barkat Ali, a contractor, and one Azhar Ali guilty in the case. Barkat and Aaley Hasan, who were out on bail, were taken into custody," said district government counsel Amit Saxena said.

The four were held guilty under Sections 452 (house trespass after preparation for hurt, assault or wrongful restraint), 427 (mischief causing damage to the amount of 50 rupees), 504 (intentional insult with intent to provoke breach of the peace), 120-B (criminal conspiracy) and 506 (criminal intimidation) of the Indian Penal Code.

The court acquitted three other accused — Zibran, Farman and Omendra Chauhan — in the case citing "the benefit of the doubt", the district government counsel said.

According to the prosecution, Ahtesham Khan told the police in his complaint that he bought a parcel of land in Dongarpur in 2011-12 to set up a school. In a portion of the land, he built a house where he was staying with his family, he added.

On the evening of February 3, 2016, Azhar Khan, Aaley Hasan and Barkat Ali along with 20-25 policemen forcibly entered his house and dragged him and his family out, he alleged. The accused vandalised the household items and ran a bulldozer over the property, he said.

Ahtesham also alleged that the accused also took away Rs 25,000 in cash and a cellphone from the house.

The complainant said when he went to Azam Khan to lodge his protest soon after the incident, Khan along with Zibran his brother Farman, Omendra Singh Chauhan and others abused and threatened him with sending him to jail.

The FIR in the matter was lodged in July 2019 against Azam Khan, Aaley Hasan, Barkat Ali, and unidentified 20-25 policemen under Sections 447, 427,504, 506, 392 and 452 of the IPC at the Ganj police station.

Since the BJP came to power in Uttar Pradesh in 2017, a total of 81 cases have been registered against the Samajwadi Party leader, also a former MP, in Rampur. These charges range from land-grabbing to cheating and criminal trespass. In some instances, Azam's wife Tanzeen Fatima, and son Abdullah Azam have been named as co-accused.

On January 31 this year, a Rampur court acquitted Azam Khan and six others in a 2019 dacoity case.

Navy ship evacuates 17, makes 35 Somali pirates surrender

AMRITA NAYAK DUTTA
NEW DELHI, MARCH 16

INDIAN NAVAL warship INS Kolkata on Saturday thwarted an attack by pirates, leading to the rescue of 17 crew members and surrender of 35 Somali raiders. The pirate ship involved was an erstwhile merchant vessel MV Ruen that was hijacked by Somali pirates in December last year.

According to the Navy, INS Kolkata intercepted the vessel about 2,600 km off the Indian coast and it came under firing. INS Kolkata forced the pirate ship to stop and forced all 35 pirates to surrender, safely evacuating 17 crew members from the vessel.

The latest anti-piracy operation was one of the significant ones carried out by the Navy in recent months, given that the vessel opened fire on the naval warship. Last month and in January, the Navy had foiled a series of piracy incidents, rescuing several Iranian and Pakistani nationals who were part of the crew. Data shared in Parliament lists seven incidents of hijacking of vessels on high seas by pirates in the last three years.

लोणावळा नगरपरिषद, लोणावळा
ता. मावळ, जि. पुणे - ४१०४०१
दूरध्वनी क्र. (०२११४) २७५४६४/ २७५४६३.
टोल फ्री क्र. १८००२३३५४६३
e-Mail: lmc1877@gmail.com **Website:** www.lmc.org.in, www.lonavalamahaulb.maharashtra.gov.in

जाहीर ई-निविदा सूचना क्र. २८, सन २०२३-२०२४

लोणावळा नगरपरिषद, लोणावळा, ता. मावळ, जि. पुणे लोणावळा शहर येथील आरक्षण क्र. ४३ येथील शॉपिंग सेंटरचे बांधकाम करणे काम हाती घेण्यात येत आहे. वरील कामाची सिलबंद ई-निविदा राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात योग्य त्या वर्गात नोंदविलेल्या अनुभवी व इच्छूक ठेकेदाराकडून **ब-१** नमुन्यातील द्वि-नोंद लिफाफा ऑनलाईन पद्धतीने मागविण्यात येत आहे. जा.क्र. लोनप-५/बांधकाम/ई-निविदा/२०२३-२४/५२९१, दिनांक १५/०३/२०२४ ने ई-निविदा प्रसिद्ध करत आहोत. ई-निविदेचा सविस्तर तपशील **www.mahatender.gov.in** या वेबसाईटवर दिनांक १७/०३/२०२४ रोजी पासून पाहण्यास मिळेल.

(सही/-)	(सही/-)	(सही/-)
पंढरीनाथ साठे	**अतुल केंद्रे**	**अशोक साबळे**
नगर अभियंता	सहा. नगर रचनाकार	मुख्याधिकारी तथा प्रशासक

लोणावळा नगरपरिषद